

# उत्तर रेलवे

## प्रेस अधिसूचना

श्री कस्तूरी लाल, पुत्र: श्री शाविर लाल, वाहन चालक जो उप मुख्य ईंजीनियर/नि/उत्तर रेलवे/जलंधर शहर यूनिट के अधीन व. खण्ड इंजीनियर/नि/उत्तर रेलवे जलंधर शहर के कार्यालय में कार्यरत थे को दिनांक 01.05.2016 से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिये एस.एफ.-5 आरोप पत्र सं. 1-ई/व. खण्ड ईंजी/नि/कार्य/जा. शहर/लूज दि. 18.01.2017 जारी किया गया था। जिसमें जांच पूर्ण कर जांच की प्रति दि. 29.08.2017 को श्री कस्तूरी लाल, वाहन चालक को दी गई। जिसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया एवं पुनः अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये।

उक्त आरोप पत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा श्री कस्तूरी लाल के विरुद्ध आवश्यक सेवानिवृति का आदेश दि. 23.05.2018 को पारित किया गया जिसकी एक प्रति कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की गई, एक प्रति कर्मचारी के स्थाई पते पर पंजीकृत पत्र द्वारा भेजी गई जो वापिस आ गई एवं एक प्रति कर्मचारी के अंतिम ज्ञात पते पर व्यक्तिगत रूप से देने हेतु दो कर्मचारी भेजे गये परंतु ज्ञात हुआ कि उक्त वाहन चालक वहां से कहीं अन्यत्र चला गया है।

अतः इस प्रेस अधिसूचना के द्वारा उक्त कर्मचारी को सूचित किया जाता है कि रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियम-1968 के अधीन उसके विरुद्ध चल रही विभागीय जांच में उसे दोषी पाते हुये उसे दि. 23.05.2018 से तत्काल प्रभाव से आवश्यक सेवा निवृत्त कर दिया गया है। संख्या: 1-ई/व. खण्ड ईंजी/नि/कार्य/जा. शहर/लूज दिनांक: 02.08.2018.

उप मुख्य ईंजीनियर/निर्माण  
उत्तर रेलवे/जलंधर शहर

2428/2018

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ